"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2018 — फाल्गुन 14, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018

क्रमांक 01/चार/रा. स. चु./2018/648.— राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव-2018 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 318/रा. स.-मल्टी/2/2018 (1), दिनांक 05 मार्च, 2018 का राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 05 मार्च 2018 —— फाल्गुन 14, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 318/रा. स.-मल्टी/2/2018 (1).— यत:, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 5 मार्च 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सरणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दे :

सारणी

राज्य (1)	भरे जाने वाले स्थान (2)
आंध्र प्रदेश	3
बिहार	6
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	4
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	6
तेलंगाना	3
उत्तर प्रदेश	10
उत्तराखण्ड	1
पश्चिम बंगाल	5
ओडिशा	3
राजस्थान	3
झारखण्ड	2
	कुल - 58

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा -

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :-

(क)	नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख	-	12 मार्च, 2018 (सोमवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	-	13 मार्च, 2018 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	-	15 मार्च, 2018 (गुरुवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,	-	23 मार्च, 2018 (शुक्रवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	-	26 मार्च, 2018 (सोमवार), और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 5th March, 2018 — Phalguna 14, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2/2018 (1).— Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 5th March, 2018 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the Table below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said Table :

TABLE

SL. No. (1)	Name of State (2)	No. of members retiring (3)
1.	Andhra Pradesh	3
2.	Bihar	6
3.	Chhattisgarh	1
4.	Gujarat	4
5.	Haryana	1
6.	Himachal Pradesh	1

(1)	(2)	(3)
7.	Karnataka	4
8.	Madhya Pradesh	5
9.	Maharashtra	6
10.	Telangana	3
11.	Uttar Pradesh	10
12.	Uttarakhand	1
13.	West Bengal	5
14.	Odisha	3
15.	Rajasthan	3
16.	Jharkhand	2
	Total	**58**

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby -

(A) appoints, with respect to the said election;

(a) the 12th March, 2018 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 13th March, 2018 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 15th March, 2018 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 23rd March, 2018 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 26th March, 2018 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) Fixes the hours from 9.00 A. M. to 4.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By Order,

Sd/-
(R. K. Srivastava)
Senior Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.